

अलवर

17/8/21

गणकी का कारो 300 प्रति.सं. 3.4 व 11 उपण
 कारी को जोष प्रतिवादीगण सं. 1.2 5 ला 10,
 12 ला 17 की तकवी हेतु दि० 24/1/20, 12/1/21
 को न्यायदित से अन्तिम अपहर-रिमा गया लेकिन
 कारी ने तकवी हेतु तकवाग पेश कही किये।
 फिर भी वकील कारी के आग्रह को पान्यायदित
 में दिनांक 23/2 को न्यायदित से एक ओर अन्तिम
 अवसर रिमागया लेकिन वकील कारी ने जोष
 प्रतिवादीगण की तकवी हेतु तकवाग पेश की
 किये। अतः कारी का कार अन्तर्गत धारा 09ROSP
 के तहत अदर तकमील (NON-Compliance)
 में लानि किमा जात है पण कारी नामक
 काम होकर कार तकमील दालिद दफ्त हो सुनाया
 गया।

सहायक कलक्टर
 अलवर (राज०)

